

**विक्रय विलेख**

प्रतिफल की धनराशि - ₹0 6,32,250/-  
 बाजार मूल्य - ₹0 1,49,380/-  
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प - ₹0 50,700/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. ग्राम - पहाड़नगर टिकरिया
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 0.245 हे०



आदर कावागार, लखनऊ

दिनांक 09-07-07

पुस्तक 1000

नाम राम लखन जी

राम लखन

राम लखन

632250/149380  
विक्रय मूल्य  
5000/10000 3000

श्रीमान केशव जी  
कावागार लखनऊ  
मोहम्मद

09-07-107 304


केशव

09-7-07

दिनांक

632,250/-

केशव उर्फ राम लखन पुत्र  
कावागार लखनऊ  
मोहम्मद



- 2 -

का पूर्ण भाग, व खसरा संख्या 15 रकबा 0.577 हे० का 1/2 भाग अर्थात् रकबा 0.2885 हे० इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.5335 हे० स्थित-ग्राम-पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 5. | मापन की रकबा          | - हेक्टेयर   |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - 0.5335 हेक्टेयर                                    |
| 7. | सड़क की स्थिति        | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार    | - कृषि   |

15/5/07

15/5/07








उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 893999



- 3 -

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं  
10. बोरिंग/ कुआँ अन्य - कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 33

उत्तर	:	खसरा नं०-41
दक्षिण	:	खसरा नं०-32, 35
पूरुब	:	खसरा नं०-34
पश्चिम	:	खसरा नं०-31

चौहद्दी खसरा नं० 15

उत्तर	:	खसरा नं०-14
-------	---	-------------

हस्ताक्षर

सिद्धांत कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 893934



- 4 -

दक्षिण : खसरा नं०-21  
पूरव : खसरा नं०-16  
पश्चिम : ग्राम सीमा मादरमऊ

प्रथम पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	ऋता का विवरण
केशन पुत्र मोहनलाल निवासी -ग्राम पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।	रामलखन पुत्र वैजनाथ निवासी-बिजनौर, परगना, तहसील बिजनौर व जिला लखनऊ।

25/10/24

25/10/24







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 893932



- 6 -

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 0.245 हे० का पूर्ण भाग, व खसरा संख्या 15 रकबा 0.577 हे० का 1/2 भाग अर्थात् रकबा 0.2885 हे० इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.5335 हे० स्थित-ग्राम-पहाड़नगर टिकरिया, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पञ्चवार्षिक खाता खतीनी क्रम संख्या 00015, 00076 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। उक्त भूमि 1360 फसली से

अनुसूचित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 288708

- 7 -

संक्रमणीय भूमिधारी अधिकार वाली रूप में दर्ज है। विक्रेता को पैसा की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना हिस्सा केता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लास भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या

20/1/20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 636413

- 8 -

अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि व किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 6,32,250/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा

20/05/2017





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 636414

- 9 -

विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के

लेखक

3 June 2011  
[Signature]

साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दायित्व खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

अक्षर

20/12/2011



का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम पहाड़नगर टिकरिया अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 2,80,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.5335 हेक्टेअर की मालियत 1,49,380/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही 8 प्रतिशत की दर से रू0 50,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।


के.एस.एस.

के.एस.एस.





अनुसारसन १८५८  
-६०६-



20/10/20

10/10/20



ट्रेडान अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु  
फिंगर्स प्रिन्ट्स

स्तुकर्ता/विक्रेता का नाम व पता

श्री. राजेश कुमार शर्मा  
B-45/1/111, प्लॉट नं. 11, इंदौर रोड, इंदौर-462010

बायें हाँथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाँथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :

श्री. राजेश कुमार शर्मा  
B-45/1/111, प्लॉट नं. 11, इंदौर रोड, इंदौर-462010

बायें हाँथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाँथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



Handwritten mark or signature at the top right corner.

३५३/३२६  
 ३१२३/०५  
 १३३६  
 ३१२३/०५  
 १३३६  
 ३१२३/०५

  
 १३३६  
 ३१२३/०५

Handwritten scribble or mark at the bottom right.